भर्ती-V अनुभाग

पदनाम	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ कृषि अभियंता के पद के लिए 7 (सात) (अनारक्षित-4 ईडब्ल्यूएस-1 अ.पि.व.-2) रिक्तियों पर भर्ती।	
विज्ञापन सं.	21/2022	
रिक्ति सं.	22112101512	
अनिवार्य योग्यता (ई क्यू)	**अनिवार्य योग्यताएं:** **(क) शैक्षिक**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री। **(ख) अनुभव:** किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में शिक्षण अनुभव सहित ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और सहायक उपकरण के संचालन एवं अनुरक्षण में पाँच वर्ष का अनुभव। या किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में कृषि मशीनरी और कृषि उपकरणों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण और मूल्यांकन का प्रबंधन करने में पाँच वर्ष का अनुभव।	
वांछनीय योग्यता	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।	
उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	**अना. एवं अ.पि.व**	**(i) अ.यो.-'क' + अ.यो. 'ख' (05 वर्ष का अनुभव) + वा.यो.** **या** **(ii) अ.यो. 'क' + अ.यो. 'ख' 07 वर्ष और उससे अधिक बढ़ायी गई।**
	ईडब्ल्यूएस	**अ.यो. 'क' + अ.यो. 'ख'**
मानदंड	i) संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे	

उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।संवीक्षा के लिए अनुभव के रूप में केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ आर ए) में दावा अनुभव पर विचार किया गया है और ओ आर ए के अनुभव कॉलम में बिना इसके संदर्भ के संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।

ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री को संगत ई क्यू 'क' के रूप में विचार किया गया है।

iii) संगत विषय में ए एम आई ई (अभियंताओं का संस्थान) डिग्री और 'यांत्रिक अभियंताओं का संस्थान' का खंड क एवं ख पास प्रमाण-पत्र को संगत नहीं माना गया है और **एलईक्यू-'क' (शैक्षिक योग्यता की कमी)** के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।

iv) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ना तो अंकतालिका और ना ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की डिग्री प्रस्तुत की है, उन्हें पूर्ण संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

v) गेस्ट फैकल्टी / अंशकालीन / प्रशिक्षु कार्य / अनुसंधान कार्य / इंटर्नशिप अवधि /व्यापार प्रमाण-पत्र को साक्ष्य के रूप में संगत नहीं माना गया है और **"अपूर्ण श्रेणी"** के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

vi) ऐसे आवेदन जिनमें उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में अनिवार्य अनुभव के रूप में दावा किया गया है, के अनुभव संगत नहीं है उनको **एलईक्यू ख [अनिवार्य योग्यता की कमी –ख]** के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

vii) अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिएं। हालांकि, जहां कहीं आवेदकों ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है यदि सभी अनिवार्य सूचना उसमें उपलब्ध है।

viii) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, पंजीकरण / नामांकन प्रमाण-पत्र, त्याग पत्र, कार्यमुक्ति आदेशों, वेतन प्रमाण-पत्र और स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव के साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को संगत अनुभव की कमी के रूप में माना गया

	है और 'अपूर्ण' श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है। ix) कार्य की प्रकृति स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाने वाले अनुभव प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। इसी तरह, ऐसे आवेदक जो संगत अनुभव का दावा करते हैं लेकिन इसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई संपूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें भी "अपूर्ण" के रूप अस्वीकृत कर दिया गया है। x) विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों में धारित अनुभव पर विचार किया गया है। यदि अनुभव भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है या परिकलित अनुभव भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट अनिवार्य अवधि से कम है, ऐसे उम्मीदवारों को **"एलईक्यू-ख"** के तहत अस्वीकृत कर दिया गया हैं। केवल संगत अनुभव की समयावधि, जिसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अपेक्षित / संगत अनुभव दर्शाता है, पर विचार किया गया है। ऐसे आवेदक जो संगत अनुभव का दावा करते हैं लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है उनको **"अपूर्ण"** के रूप अस्वीकृत कर दिया गया हैं। xi) कुछ उम्मीदवारों को एकाधिक श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया जा सकता हैं। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया हैं। **टिप्पणी:- मानदंड आयोग द्वारा मामला दर मामला के आधार पर तय किए जाते हैं।**
<u>शॉर्टलिस्ट किए गए अनुक्रमांक एवं अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक</u> **A.**	**<u>साक्षात्कार में बुलाने हेतु</u>:** **अनुक्रमांक**: 04*, 14*, 17, 22, 33*, 35, 38, 44, 45*, 50, 56, 59, 73*, 75, 90, 93*, 96*, 103, 104, 124*, 130, 133*, 135*, 146, 151, 153, 157, 172, 178*, 189 197, 199*, 208 215*, 222*, 248*, 249, 261, 263, 265*, 268*, 269, 273*, 276*, 278/277, 286*, 294*, 297*, 298, 303*, 311*, 315 **(52 उम्मीदवार/53 आवेदन)** * दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट

	किए गए उम्मीदवारों से पृथक रूप से मेल के माध्यम से दस्तावेज मांगे गए जिसे उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लखित ई-मेल आईडी पर भेजा गया है। **यदि उम्मीदवार आवेदन की निर्धारित तिथि से पहले दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसके आवेदन को अपूर्ण के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा**	
शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	**अस्वीकृत श्रेणी**	**अनुक्रमांक**
	एल ई क्यू क	13, 31, 39, 43, 65, 94, 118, 171, 191, 212, 218, 228, 234, 251, 260, 274 **(16 उम्मीदवार)**
	एल ई क्यू ख	06, 10, 12, 19, 24, 26, 27, 29, 36, 42, 48, 51, 53, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 79, 83, 85, 86, 92, 95, 97, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 113, 114, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 136, 137, 138, 139, 141, 147, 150, 152, 154, 159, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 184, 192, 195, 196, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 226, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 253, 256, 267, 279, 280, 283, 285, 287, 289, 290, 291, 293, 296, 304, 305, 307, 308, 309, 312, 316 **(119 उम्मीदवार)**
	अपूर्ण	02, 05, 16, 18, 20, 21, 25, 32, 37, 46, 47, 49, 57, 70, 78, 80, 81, 84, 88, 91, 98, 108, 112, 115, 117, 120, 122, 126, 132, 134, 143, 145, 148, 161, 163, 173, 187, 190, 194, 201, 209, 238, 250, 266, 270, 288, 299, 306, 310, 314 **(50 उम्मीदवार)**

	एल ई सी	40, 41, 231, 262, 275, 292 **(06 उम्मीदवार)** और सभी शेष उम्मीदवार जिनके अनुक्रमांक ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए।

<u>संकेतक:</u>

(i) **एलईक्यू (क)** : **अनिवार्य योग्यता की कमी (शैक्षिक)।**

(ii) **एलईक्यू (ख)** : **अनिवार्य योग्यता की कमी (अनुभव)।**

(iii) **एलईसी** : **बढ़ाए गए मानदंड की कमी।**

<u>महत्वपूर्ण निर्देश:</u>

1. जिन उम्मीदवारों को पृथक रूप से ई-मेल के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के अध्यधीन साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है (इस संबंध में, पत्र-व्यवहार उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेज दिया गया है) वे दिनांक 24.02.2024 तक ई-मेल आईडी usr5.upsc@nic.in पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं करने पर आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
2. जो उम्मीदवार इस पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और तौर-तरीकों के अनुसार अपनी अस्वीकृति के खिलाफ अभ्यावेदन करना चाहते है, वे इसे ठोस आधार / कारणों के साथ दिनांक 24.02.2024 तक ई-मेल आईडी usr5.upsc@nic.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि इसमें इंगित किए गए आधार / कारण अपनाए गए मानदंड और तौर-तरीकों के अनुसार सत्य पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य की अस्वीकृति बरकरार रखी जाएगी। हालांकि, इसकी जांच केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में दावा की गई आयु, श्रेणी, योग्यता और अनुभव के संदर्भ में की जाएगी। इसके पश्चात, संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इस जगह अपलोड किया जाएगा। किसी भी ई-मेल का कोई भी व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया जाएगा।

3. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक के साथ आयोग की वेबसाइट पथ पर अपलोड कर दी गई है:

Home>>Recruitment>>Status of Recruitment Cases (Advertisement-wise)>> Applicant's list (Link: https://upsc.gov.in/recruitment/status-recruitmentcases-advertisementwise/applicant-list).

टिप्पणी: साक्षात्कार कार्यक्रम नियत समय पर अपलोड किया जाएगा।

टिप्पणी-2: हिन्दी एवं अंग्रेजी के अर्थ में कोई भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

अवर सचिव (भर्ती-V)